न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी— श्री महावीर प्रसाद नायक, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 —	तारीख दायर	तारीख फैसला
03/2019/प्रार्थना पत्र	02.10.2018	05.09.2019

उनवान

1— भागीरथ उर्फ भागचन्द पिता खाना चमार नि0 चान्दमा तह0 फूलियाकलां
2— नाथू पिता खाना चमार नि0 चान्दमा तहसील फूलियाकलां
3— कालू पिता खाना चमार नि0 चान्दमा तहसील फूलियाकलां

— प्रार्थीगण

बनाम

1— सत्यनारायण पिता धन्ना गुर्जर नि0 चान्दमा त0 फूलियाकलां
2— गोपाल पिता श्रवण गुर्जर नि0 चान्दमा तह0 फूलियाकलां
3— प्रहलाद पिता सुरजमल गुर्जर नि0 चान्दमा तह0 फूलियाकलां
4— छगना पिता सुरजमल गुर्जर नि0 चान्दमा तह0 फूलियाकलां

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा — 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम चान्दमा पटवार हल्का रामपुरा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 30 आ0न0 1122 रकबा 0.07 आ0न0 1123/1530 रकबा 0.15 है0 कुल किता 02 रकबा 0.22 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 4 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से

4 के विरूद्व दिनांक 05.09.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस करनी चाही जिससे उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम चान्दमा पटवार हल्का रामपुरा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 30 आ0न0 1122 रकबा 0.07 आ0न0 1123/1530 रकबा 0.15 है0 कुल किता 02 रकबा 0.22 है0 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण 1 लगायत 4 के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम चान्दमा पटवार हल्का रामपुरा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 30 आ0न0 1122 रकबा 0.07 आ0न0 1123/1530 रकबा 0.15 है0 कुल किता 02 रकबा 0.22 है0 की प्रार्थीगण के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 100/- (अक्षरे एक सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एव
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां जिला–भीलवाड़ा